The Government of Karnataka, with the same spirit, has also undertaken works under NREGA during pandemic to help poor labourers for their sustenance. The hon. Chief Minister of Karnataka has requested for release of Rs. 788 crores under material component and Rs. 375 crores under wage component for 2020-21 to meet the additional demand under NREGA. Hence, I request the Finance Minister to kindly release the amount early.

Secondly, in view of huge demand for NREGA in Karnataka, the Government of Karnataka is incurring huge amount of money. So, to address this, the Chief Minister of Karnataka had also written a letter to the Finance Minister requesting for additional 50 mandays for Karnataka and also requested for release of money for material component.

Hence, I request the hon. Finance Minister and the Minister of Rural Development to kindly consider the request of the Government of Karnataka and help the State to take up NREGA works for the benefit of poor, unskilled labour force in the State.

DR. SASMIT PATRA: Sir, I associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI: Sir, I also associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

Demand for steps for the welfare of denotified and nomadic tribes

श्री जयप्रकाश निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, यह विदित है कि देश में विमुक्त जाति/जनजाति (घुमन्तू, अर्ध-घुमन्तू एवं स्थायी निवास) के लोगों की एक विशाल जनसंख्या निवास करती है, जिसने अतीत में ब्रितानी हुकूमत से सीधी टक्कर ली थी। ब्रितानी सरकार ने इन विमुक्त जनजातियों को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, 1871 बना कर जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था। हालाँकि इस ब्रितानी शासन के कानून को भारत सरकार ने 1952 में समाप्त कर दिया था, लेकिन यह दुखद तथ्य है कि आज भी देश में इन विमुक्त जनजातीय लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा। उन्हें उनके निमित्त निर्धारित सुविधाएँ नहीं मिल रहीं और वे विकास की मुख्यधारा से सर्वथा वंचित हैं। हालाँकि विमुक्त एवं घुमन्तू जनजातियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन चूँकि उक्त आरक्षण श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली अन्य जातियाँ इनकी तुलना में अधिक समृद्ध हैं, इसलिए इन घुमन्तू जातियों को आरक्षण का समुचित लाभ नहीं मिल पाता। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इन

विमुक्त एवं घुमन्तू जनजातियों को सर्वाधिक पिछड़ा मानते हुए इनके लिए एक पृथक उपश्रेणी सृजित करने की सिफारिश की थी।

अतः में सरकार से यह माँग करता हूँ कि पूरे देश में विमुक्त जाति-जनजातियों की पहचान की जाए, उन्हें जाति प्रमाणपत्र जारी किया जाए, उन्हें एक पृथक उपश्रेणी में रखा जाए, उन्हें आरक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाएं, उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज तैयार किया जाए और उन्हें क्षेत्रीय प्रतिबंध संबंधी विधिक उपबंधों से मुक्त किया जाए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

प्रो. मनोज कुमार झा (बिहार): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

डा. फौजिया खान: महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करती हूं।

DR. SASMIT PATRA: Sir, I also associate myself with the Special Mention made by Shri Jaiprakash Nishad.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI: Sir, I also associate myself with the Special Mention made by Shri Jaiprakash Nishad.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Subhash Chandra Singh. You have given Zero Hour notice regarding passenger train from Haridaspur to Paradip via Kendrapada.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION - Contd.

Need to start passenger train from Haridaspur to Paradip via Kendrapada

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Mr. Chairman, Sir, after 75 years of Independence, in seven districts out of 30 districts of Odisha, there is no train connectivity; there is no train facility.

Sir, work on new train line from Haridaspur to Paradip via Kendrapada is already over and commercial train has been allowed on this line by the Railway